न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 44/16 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कलावतीदेवी पत्नि उमरावसिंह बडवा निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1. शंकरी पुत्री देवा बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. उदयराम आत्मज पन्नालाल बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. मु0 शांति पुत्री पन्नालाल बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. मु0 अमरी बेवा पन्नालाल बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. कालु आत्मज घीसा बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. मेघा आत्मज घीसा बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. बरदा आत्मज घीसा बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. बालु आत्मज घीसा बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. गीता पत्नि बाबुलाल सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10. नंदलाल आत्मज बाबुलाल सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11. प्रदीप आत्मज बाबुलाल सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12. मीना पुत्री बाबुलाल सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13. किरण पुत्री बाबुलाल सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14. जगदीश आत्मज काशीराम सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
15. रामेश्वर आत्मज काशीराम सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
16. अलोल पुत्री काशीराम सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
17. विमला पुत्री काशीराम सुनार निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
18. गोवर्धनसिंह आत्मज हीरालाल बडवा निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
19. अनोपदेवी पत्नि हीरालाल बडवा निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर

अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2038 रकबा 0.40 हे0, 2039 रकबा 0.12 हे0, 2040 रकबा 0.24 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 76 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाना

आवश्यक हो गया है प्रार्थीया की उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थीया ने विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 19 को कई मर्तबा उक्त आराजियात कि पत्थरगढी कराने हेतु कहा किन्तु वे हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिंनाक 29/03/2016 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय वाद दिनांक 29/03/2016 को विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी कराने से इन्कार होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और अन्दर अवधि यह प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 04.05.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं0 1 से 4 तथा 15, 18 एवं 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 5 से 14 तथा 16 एवं 17 के खिलाफ प्रार्थीया के अधिवक्ता कोई कारवाई नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2038 रकबा 0.40 हे0, 2039 रकबा 0.12 हे0, 2040 रकबा 0.24 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 76 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 350/– अक्षरे तीन सौ पचास रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
8/6/17